न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 06/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूपाराम पुत्र पोकरराम जाति माली निवासी सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1 मदनलाल पुत्र श्री पोकरराम जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0–सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधि0 1956

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. श्री गजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।

दिनांक: 28.04.2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व विविध प्रा0 पत्र विरूद्व अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया पटवार हल्का आलावास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोजतरोड तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खाता संख्या 330 के खसरा नंबर 96/1 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नंबर 96/3 रकबा 0.4650 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है, प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 96/1 व 96/3 की भूमि पर प्रार्थी का ही शांतिपूर्वक तरीके से कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है, प्रार्थी की उक्त भूमि के पडौस में अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 96 रकबा 0.4650 हैक्टर, खसरा नंबर 96/2 रकबा 0.5000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर आयी हुई स्थित है, तथा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम इन्द्राज सुदा है, अप्रार्थी संख्या 1 की नियत पूर्व से बद्ध थी, व येन केन प्रकारेण प्रार्थी की खातेदारी कृषि जोत की भूमि पर नाजायज कब्जा करने का उतारू रहते है, तथा मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि के सीमाज्ञान/पत्थर गढ्ढी के अभाव में हर समय सीमाओं, धोरापाली को लेकर विवाद होने की संभावना रहती है तथा मौके पर विवाद होते रहते है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 उसकी भूमि पर हस्तक्षेप नही करने हेतु निवेदन किया, लेकिन मानने को तैयार नही हुआ और ऐलानिया कहने लगे कि हम तो तुम्हारी खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा करके रहेंगे, पूर्व में भी उक्त कृषि भूमि के संबंध में

उप खण्ड अधिकारी सोजत

व अप्रार्थी संख्या 01 के मध्य धोरे एवं काश्त को लेकर विवाद होने पर प्रार्थी ने श्रीमान तहसीलदार को सीमांकन हेतु निवेदन किया, तथा संबंधित राजस्व पटवारी आये, लेकिन मौके पर विवाद होने से उक्त भूमि का वैध सीमांकन एवं पत्थर गढ्डी नही हो सकी। दिनांक 08.12.2021 को प्रार्थी व उसके परिवार जन मौके पर अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर गये तो पुनः अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की भूमि की सीमाओ में आकर अनावश्यक कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी करने लगे तथा मौके पर सीमाओ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थी की भूमि पर नाजायज हस्तक्षेप कर कब्जा करने की एलानियां धमकियां देने लगे, जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को ऐसा कृत्य नही करने हेतु निवेदन किया, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 मानने को तैयार नही हुए। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 खातेदारी भूमि का मौके पर सीमाज्ञान/मुकाम लगवाकर पत्थरगढ्डी की जानी आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी तिलवाडिया में स्थित होने से व प्रार्थना पत्र पत्थरगढ्डी का होने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नंबर 96/1 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नंबर 96/3 रकबा 0.4650 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के खसरा नंबर 96 रकबा 0.4650 हैक्टर, खसरा नंबर 96/2 रकबा 0.5000 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर तक की भूमि का वैध सीमांकन/मुटाम किया जाकर पत्थरगढ्डी करने के आदेश पारित फरमाने हेतु निवेदन किया है। इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से दिनांक 16.03.2022 से आज दिनांक तक पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाब प्रा0 पत्र पेश नही करने से जबाब प्रा0 पत्र पेश करने का अवसर समाप्त कर जबाब पत्र बंद किया गया।

बहस वकुलाय प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 एल0आर0एक्ट0 1956 सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थित भूमि पर अप्रार्थी नाजायज कब्जा करने पर उतारू है व मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के सीमाज्ञान व पत्थरगढी के अभाव में धोरा पाली को लेकर विवाद होता रहता है। मौके पर विवाद होने से सीमाज्ञान नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थित भूमि का वैध सीमांकन/मुटाम व पत्थर गढी करने के आदेश पारीत करने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र झूठा व मिथ्या है। अप्रार्थी ने कभी भी कोई विवाद व झगड़ा नहीं किया है। केवल हैरान व परेशान करने की नियत से उक्त प्रा0 पत्र पेश किया है। जिसे खारीज फरमाया जावें।

उप खण्ड अधिकारी सोजत

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र फहरिस्त दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी के जरिए मुटाम कायम करवाना चाहता है। लिहाजा प्रार्थी का प्रा0 पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नंबर 96/1 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नंबर 96/3 रकबा 0.4650 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर भूमि का उभय पक्षो की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जाकर मुटाम कायम करवाना उचित समझते है।

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विविध प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111 व 128 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाता है कि स्वयं के नेतृत्व में सम्बन्धित पटवारी, एक अन्य पटवारी, व भू0अभि0निरी0 की टीम का गठन कर सरहद मौजा ग्राम बासनी तिलवाडिया तहसील सोजत जिला पाली में स्थित खसरा नंबर 96/1 रकबा 0.5000 हैक्टर, खसरा नंबर 96/3 रकबा 0.4650 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9650 हैक्टर भूमि का उभयपक्षो की उपस्थिति में सीमांकन कर, पत्थरगढी की जाकर, मुटाम कायम किये जावें। सीमांकन शुल्क नियमान्तर्गत प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करवायें। तत्पश्चात् मौके पर पत्थरगढी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। निर्णय की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी सोजत